बिहार सरकार
वित्त विभाग
संकल्प

सं०सं०- एम-4-53/2007-3758/वि० पटना, दिनांक- 31.05.2017

विषय :- स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं०- 602, दिनांक- 20.03.2007 द्वारा वित्तीय मामलों में प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प 96/वि० (2) दिनांक 03.01.2008, 2190/वि०(2) दिनांक 17.03.2008 एवं 2063/वि० दिनांक-11.03.2016 द्वारा योजना एवं गैर योजना मद में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है।

2. दिनांक 01.04.2017 से योजना एवं गैर योजना स्कीमों का विलय किया जा रहा है, जिसके कारण उपर्युक्त वर्णित वित्त विभागीय संकल्प पर विचार करना आवश्यक हो गया है। अतएव सम्यक् विचारोपरांत योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया एवं शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में निर्गत वित्त विभागीय संकल्प 96/वि० (2) दिनांक 03.01.2008, 2190/वि (2) दिनांक 17.03.2008 एवं 2063/वि० दिनांक 11.03.2016 में किये गये प्रावधान को विलोपित करते हुए वित्त विभागीय संकल्प 2199/वि० दिनांक 24.03.2017 द्वारा स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं० 306 दिनांक 17.03.2017 द्वारा वित्तीय मामलों में प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प 2199/वि० दिनांक 24.03.2017 द्वारा स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन में संशोधन करते हुए निम्नांकित व्यवस्था लागू की जाती है:-

3. **समीक्षा समितियाँ (Appraisal Committees) :**

(क) विभागीय स्थायी वित्त समिति :

विभाग में स्कीमों की समीक्षा हेतु विभागीय प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में विभागीय स्थायी वित्त समिति रहेगी, जिसमें निम्न सदस्य होंगे :-

(क) विभागीय प्रधान सचिव/सचिव	–	अध्यक्ष
(ख) आन्तरिक वित्तीय सलाहकार	–	सदस्य
(ग) योजना संबंधी प्रशाखा के विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव	–	सदस्य

प्रधान सचिव/सचिव यदि चाहें तो योजना एवं विकास विभाग, वित्त विभाग तथा किसी अन्य विभाग के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित कर सकते है।

(ख) लोक वित्त समिति (Public Finance Committee) :

स्कीमों की समीक्षा के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में लोक वित्त समिति रहेगी जिसमें निम्न

सदस्य होंगे:

(क) विकास आयुक्त – अध्यक्ष

(ख) प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग – सदस्य

(ग) प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग – सदस्य सचिव

(घ) संबंधित विभागीय प्रधान सचिव/सचिव – सदस्य

(ङ) संबंधित विभागाध्यक्ष (यदि हो तो) – सदस्य

(ग) प्रशासी पदवर्ग समिति :

स्थापना एवं अन्य प्रतिबद्ध व्यय में पदों के सृजन अथवा उत्क्रमण तथा वाहन के क्रय संबंधी प्रस्ताव जो पूर्व में गैर योजना व्यय से संबंधित थे, की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रशासी पदवर्ग समिति रहेगी जिसमें निम्न सदस्य होंगे :-

(क) मुख्य सचिव – अध्यक्ष

(ख) विकास आयुक्त – सदस्य

(ग) प्रधान सचिव, वित्त विभाग – सदस्य

(घ) सचिव, वित्त विभाग – सदस्य सचिव

(ङ) प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग – सदस्य

(च) संबंधित प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव – सदस्य

4. **समीक्षा एवं स्वीकृति की शक्तियाँ :**

(क) **नई स्कीमें :**

क्र०	**नई स्कीम**	**समीक्षा प्राधिकार**	**स्वीकृति प्राधिकार**
1.	5.00 करोड़ तक	प्रशासी विभाग	विभागीय सचिव
2.	5.00 करोड़ से 15.00 करोड़ तक	विभागीय स्थायी वित्त समिति	विभागीय मंत्री
3.	15.00 करोड़ से 30.00 करोड़ तक	विभागीय स्थायी वित्त समिति	विभागीय मंत्री एवं वित्त मंत्री
4.	30.00 करोड़ से अधिक	लोक वित्त समिति	मंत्रिपरिषद्
5.	नये स्वायत संगठन के अधिष्ठापन के संबंध में।	लोक वित्त समिति	मंत्रिपरिषद्

यदि राज्य स्कीम, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम एवं केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम में किसी नये पद के सृजन या पद के उत्क्रमण अथवा नये वाहन के क्रय का प्रस्ताव शामिल हो, तो ऐसे मामले लोक वित्त समिति के

समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे एवं उपरोक्त कंडिका 4 (क) के अनुसार सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(ख) स्थाना एवं अन्य प्रतिबद्ध व्यय में नई स्कीम की समीक्षा एवं स्वीकृति की शक्तियाँ उपरोक्त कंडिका 4 (क) के समान होगी।

स्थापना एवं अन्य प्रतिबद्ध व्यय में पदों के सृजन अथवा उत्क्रमण तथा वाहन के क्रय के प्रस्ताव, जो पूर्व में गैर योजना व्यय से संबंधित थे, के मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रशासी पद वर्ग समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। पदों के सृजन एवं उत्क्रमण संबंधी मामलों में स्वीकृति सक्षम प्राधिकार यथा मंत्रिपरिषद् के द्वारा तथा नये वाहन के क्रय संबंधी मामलों में स्वीकृति वित्त मंत्री के द्वारा पूर्ववत दी जायेगी।

(ग) निवेश पूर्व कार्य आदि (Pre-investment activity) पर व्यय :-

स्कीमों में विस्तृत संभाव्यता/परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी जैसे निवेश पूर्व कार्यों के लिए प्रत्यायोजन निम्न प्रकार रहेगा 5-

क्र०	स्कीम की लागत	समीक्षा प्राधिकार	स्वीकृति प्राधिकार
1.	रु० 20 लाख तक की लागत पर विस्तृत संभाव्यतता/परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी एवं निवेश पूर्व कार्यों के लिए (निवेश पूर्व कार्यों में प्रतिवेदन हेतु विस्तृत अध्ययन शामिल होगा लेकिन भूमि अधिग्रहण/अन्य आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था शामिल नहीं होगी)।	विभागीय सचिव	विभागीय मंत्री
2.	शेष मामलों में	लोक वित्त समिति	मंत्रिपरिषद्

5. **पुनरीक्षित प्राक्कलनों की स्वीकृति :**

(क) मंत्रिपरिषद् अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित स्कीम्स के कार्यान्वयन के क्रम में यदि यह पाया जाता है कि किसी स्वीकृत स्कीम के मूल प्राक्कलन में 20 प्रतिशत से कम अथवा 20 प्रतिशत तक की वृद्धि संभावित है, तो ऐसी स्कीम के अपुनरीक्षित प्राक्कलन पर विभागीय प्रधान सचिव/सचिव तथा विभागीय मंत्री का पुनः अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा भले ही मूल स्कीम की स्वीकृति पूर्व में मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गयी हो।

(ख) यदि स्वीकृत स्कीम के मूल प्राक्कलन में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि संभावित है, तो ऐसी स्कीम के पुनरीक्षित प्राक्कलन में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए, मंत्रिपरिषद् अथवा पूर्व से निर्धारित सक्षम प्राधिकार से एक स्तर उपर के प्राधिकार का पुनः अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. ऋण/सहायक अनुदान (विवेकानुदान सहित)/सब्सिडी से संबंधी नई स्कीमों की स्वीकृति :

(क) राज्य सरकार द्वारा किसी अधिनियम/संकल्प/निर्णय द्वारा गठित सरकारी बोर्ड, प्राधिकार, एजेंसी एवं सोसाइटी अथवा किसी स्कीम विशेष के कार्यान्वयन हेतु गठित Special Purpose Vehicle के अनुदानित/सहायक अनुदानित नई स्कीमों को प्रशासनिक स्वीकृति वर्णित कंडिका-4(क) के अनुसार दी जायेगी।

(ख) उपरोक्त कंडिका (क) के अनुरूप ही वैसे गैर-सकारी संस्थानों में ऋण/अनुदान/सहायक अनुदान की स्वीकृति दी जा सकेगी, जिन मामलों में आय-व्ययक प्राक्कलन में उक्त संस्था के नाम से राशि प्रावधानित हो।

(ग) शेष सभी मामलों में कंडिका-4(क) में उल्लेखित निर्धारित वित्तीय सीमा के लिए समीक्षा प्राधिकार एवं स्वीकृति प्राधिकार से एक स्तर उपर के द्वारा स्वीकृति दी जायेगी। स्वीकृति प्राधिकार मंत्रिपरिषद् होने की स्थिति में स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा दी जायेगी।

7. केन्द्र **द्वारा प्रयोजित, केन्द्र चालित एवं वाह्य सम्पोषित प्रक्षेत्र में चालू तथा नई स्कीमें :**

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित अथवा केन्द्र चालित चालू स्कीमें :- यदि ऐसी स्कीम के केन्द्रांश एवं राज्यांश के लिए उद्व्यय एवं बजट में उपबंध हो, तो प्रत्येक वर्ष अलग से प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी चाहे राशि का व्यय अनुदान के रूप में किया जा रहा हो। प्रशासी विभाग केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार इन स्कीमों का क्रियान्वयन करेगा। प्रशासी विभाग उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि के समानुपातिक राशि विमुक्त करने के लिए सक्षम होगा। यदि ऐसी स्कीम के लिए उद्व्यय/बजट उपबंध उपलब्ध नहीं हो, तो प्रशासी विभाग योजना एवं विकास विभाग से उद्व्यय प्राप्त कर एवं बजट में बिहार आकस्मिकता निधि/ अनुपूरक द्वारा प्रावधान करा कर ही राशि विमुक्त करेगा।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रयोजित अथवा केन्द्र चालित नयी स्कीमें : नयी स्कीमों के क्रियान्वयन एवं उनके लिए केन्द्रांश एवं राज्यांश की विुक्ति संबंधी निर्णय उपरोक्त कंडिका-4(क) के अनुसार लिये जायेंगे।

8. राज्य द्वारा प्रायेाजित चालू स्कीम :

राज्य क्षेत्र की चालू स्कीमों के लिये प्रत्येक वर्ष स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी चाहे राशि का व्यय अनुदान के रूप में किया जा रहा हो। इसके लिए स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति की लागत के अंतर्गत संबंधित वर्ष के लिए स्कीम उद्व्यय तथा बजट उपबंध के अंतर्गत राशि विमुक्त करने के लिए प्रशासी विभाग सक्षम होगा। स्कीमों का क्रियान्वयन एवं राशि की विमुक्ति प्रशासी विभाग द्वारा सरकार की मूल स्वीकृति एवं अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा सकेगा। उदाहरण के तौर पर यदि छात्रवृत्ति की दर में कोई परिवर्तन नहीं है, तो प्रतिवर्ष स्कीमों की प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है और इसे चालू स्कीम की श्रेणी में ही मानते हुए बजट उपबंध के अंतर्गत राशि विमुक्त की जा सकती है।

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (पूर्व में गैर योजना) मद में ऋण/सहायक अनुदान (विवेकानुदान

सहित)/सब्सिडी से संबंधित चालू स्कीमों की प्रत्येक वर्ष स्वीकृति कंडिका–4 (क) के समान होगी।

9. जिन मामलों में मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन की आवश्यकता हो, उनमें सक्षम समीक्षा प्राधिकार (लोक वित्त समिति) की अनुशंसा के पश्चात् प्रशासी विभाग आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से संलेख सीधे मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के माध्यम से मंत्रिपरिषद् के सम्मुख रखेगा। स्वीकृति प्राधिकार (विभागीय सचिव/विभागीय मंत्री/वित्त मंत्री/मंत्रिपरिषद्) के अनुमोदन के पश्चात् प्रशासी विभाग स्कीम की स्वीकृति के संबंध में स्वीकृत्यादेश आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत एवं संसूचित कर सकेगा। राज्यादेश (स्वीकृत्यादेश) में यह भी अंकित रहना आवश्यक है कि स्कीमों में व्यय किस शीर्ष/उपशीर्ष से विकलनीय है तथा एक अलग कंडिका में स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा कि स्कीम के अनुमोदन के संबंध में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार का अनुमोदन किस संचिका के किस पृष्ठ पर किस तिथि को प्राप्त किया गया है। इसी तरह वित्त विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति/डायरी नंबर/संचिका एवं पृष्ठ संख्या भी अलग कंडिका में स्पष्ट रहे। यदि किसी प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी राज्यादेश (स्वीकृयादेश) में राशि की विमुक्ति की भी स्वीकृति अंकित की जाती है, तो निधि की उपलब्धता, पुनर्विनियोग/बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति संबंधी पत्रांक अंकित रहना आवश्यक होगा। प्रशासी विभाग स्कीमों हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश की प्रति योजना एवं विकास विभाग तथा वित्त विभाग दोनों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्गत स्वीकृत्यादेश के आधार पर कोषागार/उप कोषागार से निकासी से पूर्व महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है या नहीं, यह वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 वि०(2) दिनांक 5.10.2007 द्वारा निर्धारित है। अत: बेहतर होगा कि स्वीकृत्यादेश में ही अंकित कर दिया जाय कि महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है या नहीं।

10. उल्लेखनीय है कि जहाँ उद्व्यय नहीं है अथवा बजट में उपबंध नहीं है, वहाँ उद्व्यय के लिए योजना एवं विकास विभाग तथा बजट उपबंध के लिए वित्त विभाग की अलग से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी अर्थात् स्कीमों की प्रशासनिक स्वीकृति तो की जा सकेगी लेकिन राशि की विमुक्ति उद्व्यय/बजट उपबंध के पश्चात् ही की जा सकेगी।

11. स्कीमें उतनी ही ली जाए जिनके संबंध में वित्तीय वर्ष में व्यय बजट उपबंध/उद्व्यय के अंतर्गत हो। नई स्कीम लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पुरानी स्कीमें अधूरी नहीं रह जायें और उनके लिए आवश्यकतानुसार राशि कर्णांकित कर दी गई है। राज्य सरकार के विभागों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में Bank of Sanction (BOS) की अधिसीमा बजटीय उपबंध की राशि की तीन गुणी लागत तक ही रखी जायेगी। परन्तु यदि बजटीय उपबंध की तीन गुणी लागत तक का दायित्व पूर्व से सृजित है, तो विशेष परिस्थिति में, जनोपयोगी योजनाएं उक्त अधिसीमा के आगे भी लोक वित्त समिति के अनुमोदन से ली जा सकेगी।

12. उपर्युक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग सरकार द्वारा निर्गत सामान्य मितव्ययिता परिपत्रों एवं अन्य सामान्य निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

13. प्रशासी विभाग कंडिका-9 में वर्णित स्वीकृत्यादेशों की प्रतियाँ संबंधित विभागों को अनिवार्य रूप से ऑनलाईन/ई-मेल पर उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश

(रवि मित्तल)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- एम-4-53/2007-3758/वि० पटना, दिनांक- 31.5.17

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रवि मित्तल)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- एम-4-53/2007-3758/वि० पटना, दिनांक- 31.5.17

प्रतिलिपि :- सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रवि मित्तल)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- एम-4-53/2007-3758/वि० पटना, दिनांक- 31.5.17

प्रतिलिपि :- ई-गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(रवि मित्तल)

प्रधान सचिव